

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

/राँची, दिनांक - 03/04/23

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-56-झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत वेतनादि विभिन्न इकाईयों में कुल रूपये 2,70,78,000.00 (दो करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-56-झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत वेतनादि विभिन्न इकाईयों में राशि रूपये 2,70,78,000.00 (दो करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) के बजटीय उपबंध के व्यय की अनुमति वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-274/बजट, दिनांक 31.03.2023 के द्वारा प्रदान की गई है।

2. उपरोक्त उपबंधित राशि से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना व्यय के विभिन्न मदों हेतु रूपये 2,70,78,000.00 (दो करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) का इकाईवार निम्नवत् आवंटन किया जाता है, जिसकी ऑनलाईन आवंटन की प्रति संलग्न है -

(राशि रूपये में)

मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-56-झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग (प्राथमिक इकाईयों)	बजटीय उपबंध	आवंटित राशि
01-वेतन	15958000	15958000
12-छुट्टी यात्रा रियायत	100000	100000
13-देशीय यात्रा व्यय	100000	100000
15-कार्यालय व्यय	1000000	1000000
16-किराया, दर, कर	1200000	1200000
17-कार्यालय उपकरण	500000	500000
21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	600000	600000
23-आपूर्ति एवं सामग्री	200000	200000
29-व्यवसायिक सेवाएँ	4219000	4219000
33-दूरभाष	200000	200000
35-प्रशिक्षण व्यय	300000	300000
37-विद्युत व्यय	300000	300000
82-सर्वेक्षण	100000	100000
41-मोटर वाहन	2200000	2200000
51-मुआवजा	1000	1000
60-विधि प्रभार	100000	100000
कुल	27078000	27078000

(दो करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)

3. आवंटित राशि की निकासी स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निर्देशन तथा प्रशासन-56-झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत उपरोक्त विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में मुद्रित एवं उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. इकाईवार आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाय।


6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561/वि0(2), दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक 1800, दिनांक 15.07.2003 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में राशि की निकासी की जाय।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का सख्ती से अनुपालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जाय। व्यय के पश्चात् अवशेष राशि का ऑनलाईन प्रत्यापन 25 मार्च 2024 तक कर दिया जाय।

8. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को भेजा जाय। साथ ही व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखागार, झारखण्ड, राँची से करायी जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



31/4/23
(हिमानी पाण्डे),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-खा०प्र०-4 स्था० व्यय (खाद्य आयोग)-41/2021-.....1172/राँची, दिनांक - 05/04/23

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




31/4/23
सरकार के प्रधान सचिव।

